

ब्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ज्योतिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 232/2023

वाद अ. धारा 88, 53, 251 ए आर.टी.एस.व्यमेव जयते



1. रामभज पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राहुल पुत्र श्री रामभज जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. मैना देवी पत्नी श्री भादरराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. पूर्णराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. श्योकरण पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. पालाराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. भीमसैन पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. हरदत पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. विनोद कुमार पुत्र श्री हरदत जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सुनीता पत्नी श्री सीताराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. मीनल पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. नन्दराम पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. रणवीर पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. रामकुमार पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. शान्ति देवी पत्नी श्री सहीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपरिथति :-

वादीगण की ओर से

:-

श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से

:-

श्री कुलदीप गुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 15.6.2023

लगातार -- 2

15/6

2023

वादीगण रामभजन व अन्य ने प्रतिवादीगण मैना देवी वनैय के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का डग न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 10.776 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 9 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 8 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। मुताबिक बंटवारा वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 10.776 है। कृषि भूमि में से वादीगण को 1.989 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 2 को 2.169 है। कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 2.423 है। कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 व 5 को 2.241 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को 1.956 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित कर वादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 3, 4 व 6 का हिस्सा कम एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 8, 10 ता 13 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) वादीगण रामभज पुत्र श्री भादरराम एवं राहुल पुत्र श्री रामभज समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/206 18 23/0.253 है.
173/207 23 3,8,13/0.253 है.प्र., 20,21/0.237 है.प्र.
20,21/0.016 है.प्र. गै.मु. रास्ता, 24/0.240 है.,
24/0.013 है. गै.मु. रास्ता
173/207 30 1/1/0.126 है., 172/0.025 है., 2/1/0.067 है.

कुल 1.989 है. गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 पूर्णराम पुत्र श्री रामभज जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 8 एस.बी.एन. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73



प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/207	23	5/1/0.203 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
172/207	24	16,25/0.253 है.प्र.
172/208	29	4/1/0.068 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
175/208	30	1/1/0.102 है.

कुल 2.169 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 श्योकरण पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	22/0.253 है.
173/207	23	2,9,12,19,22/0.253 है.प्र.
173/208	30	2/1/0.161 है., 2/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.011 है.
174/206	22	10/1/0.127 है., 11/0.253 है., 20/0.075 है.,

कुल 2.423 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः पालाराम पुत्र श्री रामरख(2/3 हिस्सा) एवं भीमसैन पुत्र श्री पालाराम(1/3 हिस्सा) समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	21/0.253 है.
173/207	23	1,10,11/0.253 है.प्र., 18,23/0.253 है.प्र.
173/208	30	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 5/1/0.191 है., 5/2/0.051 है.
174/208	31	1/1/0.228 है.

कुल 2.241 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 7 विनोद कुमार पुत्र श्री हयदत जाति जाट निवासी नगराना तह. संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/207	23	7/0.133 है., 14/0.253 है., 17/0.240 है., 17/0.013 है. गै.मु. रास्ता
172/208	29	4/1/0.160 है., 4/2/0.025 है., 7/0.173 है., कुल 0.997 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 8 व 9 क्रमशः सुनीता देवी पत्नी श्री सीताराम एवं मीनल पुत्र श्री सीताराम समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	24/0.253 है.
173/207	23	4/0.253 है., 7/0.120 है.
172/208	29	6/0.253 है., 7/0.080 है.



(छ) प्रतिवादी सं. 10 ता 12 क्रमशः नन्दराम, रणवीर, रामकुमार पुत्रगण श्री हरिराम समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :- चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/207	22	20/0.178 है., 21/0.253 है.
174/208	31	1/2/0.025 है.

(ज) प्रतिवादी सं. 13 शान्ति देवी पत्नी श्री सहीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :- चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/207	23	5/1/0.025 है. कुल 0.025 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण घराघरू बंटवारानुसार रास्ता की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 में प.नं. 173/207 मु.नं. 23 कि.नं. 20,21/0.016 है.प्र., कि.नं. 17,24/0.013 है.प्र.(किलो की पश्चिमी दिशा में प्रत्येक किला में मुख्य रास्ता से दक्षिण से उतर की ओर) रास्ता मन्जुर करवा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीजेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी



सं. 10 ता 13 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी वरियते 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 13 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 13 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 10.776 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रति पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 13 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादीगण रामभज पुत्र श्री भादरराम एवं राहुल पुत्र श्री रामभज समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	23/0.253 है.
173/207	23	3,8,13/0.253 है.प्र., 20,21/0.237 है.प्र.
		20,21/0.016 है.प्र. जै.मु. रास्ता, 24/0.240 है.,
		24/0.013 है. जै.मु. रास्ता
173/207	30	1/1/0.126 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.067 है.
		कुल 1.989 है. मय जै.मु. कृषि भूमि

(अ) प्रतिवादी सं. 2 पूर्णराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/207 23 5/1/0.203 है., 5/2/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
172/207 24 16,25/0.253 है.प्र.

172/208 29 4/1/0.068 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

175/208 30 1/1/0.102 है. कुल 2.169 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 श्योकरण पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/206 18 22/0.253 है.
173/207 23 2,9,12,19,22/0.253 है.प्र.
173/208 30 2/1/0.161 है., 2/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,
4/2/0.025 है., 5/1/0.011 है.
174/206 22 10/1/0.127 है., 11/0.253 है., 20/0.075 है.,
कुल 2.423 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः पालाराम पुत्र श्री रामरख(2/3 हिस्सा) एवं भीमसैन पुत्र श्री पालाराम(1/3 हिस्सा) समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/206 18 21/0.253 है.
173/207 23 1,10,11/0.253 है.प्र., 18,23/0.253 है.प्र.
173/208 30 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 5/1/0.191 है.,
5/2/0.051 है.
174/208 31 1/1/0.228 है. कुल 2.241 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 7 विनोद कुमार पुत्र श्री हरदत जाति जाट निवासी नगराना तह. संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/207 23 7/0.133 है., 14/0.253 है., 17/0.240 है.,
17/0.013 है. गै.मु. रास्ता



1576
के सं अभियान...
प्रवासी (SDO)



172/208 29 4/1/0.160 है., 4/2/0.025 है., 7/0.173 है.
कुल 0.997 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ब) प्रतिवादी सं. 8 व 9 क्रमशः सुनीता देवी पत्नी श्री सीताराम एवं मीनल पुत्र श्री सीताराम समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/206 18 24/0.253 है.
173/207 23 4/0.253 है., 7/0.120 है.
172/208 29 6/0.253 है., 7/0.080 है. कुल 0.959 है. कृषि भूमि

(1) प्रतिवादी सं. 10 ता 12 क्रमशः नन्दराम, रणवीर, रामकुमार पुत्रगण श्री हरिराम समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

174/207 22 20/0.178 है., 21/0.253 है.
174/208 31 1/2/0.025 है. कुल 0.456 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 13 शान्ति देवी पत्नी श्री सहीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/207 23 5/1/0.025 है. कुल 0.025 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी सं. 2 ता 5, 7 ता 13 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 में प.नं. 173/207 मु.नं. 23 कि.नं. 20,21/0.016 है.प्र., कि.नं. 17,24/0.013 है.प्र.(किलो की पश्चिमी दिशा में प्रत्येक किला में मुख्य रास्ता से दक्षिण से उतर की ओर) रास्ता मन्जुर किया जाता है, का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नोट:- यदि डिफ्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिफ्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिफ्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/4/2023 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया 2023

डिक्री एवं मुकदमों इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

ब्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 232/2023

रामभज पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
राहुल पुत्र श्री रामभज जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- वादीगण

1. मैना देवी पत्नी श्री भादरराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
2. पूर्णराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
3. श्योकरण पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
4. पालाराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
5. भीमसैन पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
6. हरदत पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
7. विनोद कुमार पुत्र श्री हरदत जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
8. सुनीता पत्नी श्री सीताराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
9. मीनल पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
10. नन्दराम पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
11. रणवीर पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
12. रामकुमार पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
13. शान्ति देवी पत्नी श्री सहीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2

19/6/2023

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

वाद पत्र अ. धारा 88, 53, 251 ए आर.टी.ए.

- प्रतिवादीगण


दिनांक :- 15.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 13 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादीगण रामभज पुत्र श्री भादरराम एवं राहुल पुत्र श्री रामभज समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	23/0.253 है.
173/207	23	3,8,13/0.253 है.प्र., 20,21/0.237 है.प्र. 20,21/0.016 है.प्र. गै.मु. रास्ता, 24/0.240 है., 24/0.013 है. गै.मु. रास्ता
173/207	30	1/1/0.126 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.067 है. कुल 1.989 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



ब) प्रतिवादी सं. 2 पूर्णराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/207	23	5/1/0.203 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
172/207	24	16,25/0.253 है.प्र.
172/208	29	4/1/0.068 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
175/208	30	1/1/0.102 है. कुल 2.169 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

ग) प्रतिवादी सं. 3 श्योकरण पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

Handwritten signature and date 19/6/2023, and official stamp of the District Office (SDO) Nagerana.



173/206	18	22/0.253 है.
173/207	23	2,9,12,19,22/0.253 है.प्र.
173/208	30	2/1/0.161 है., 2/2/0.025 है., 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है., 5/1/0.011 है.
174/206	22	10/1/0.127 है., 11/0.253 है., 20/0.075 है.

कुल 2.423 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः पालाराम पुत्र श्री रामरख(2/3 हिस्सा) एवं भीमसेन पुत्र श्री पालाराम(1/3 हिस्सा) समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	21/0.253 है.
173/207	23	1,10,11/0.253 है.प्र., 18,23/0.253 है.प्र.
173/208	30	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 5/1/0.191 है., 5/2/0.051 है.
174/208	31	1/1/0.228 है.

कुल 2.241 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

इ) प्रतिवादी सं. 7 विनोद कुमार पुत्र श्री हरदत जाति जाट निवासी नगराना तह. संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/207	23	7/0.133 है., 14/0.253 है., 17/0.240 है., 17/0.013 है. गै.मु. रास्ता
172/208	29	4/1/0.160 है., 4/2/0.025 है., 7/0.173 है., कुल 0.997 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 8 व 9 क्रमशः सुनीता देवी पत्नी श्री सीताराम एवं मीनल पुत्र श्री सीताराम समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/206	18	24/0.253 है.
173/207	23	4/0.253 है., 7/0.120 है.
172/208	29	6/0.253 है., 7/0.080 है. कुल 0.959 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 10 ता 12 क्रमशः नन्दराम, रणवीर, रामकुमार पुत्रगण श्री हरिराम समस्त जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
174/207 22 20/0.178 है., 21/0.253 है.
174/208 31 1/2/0.025 है.

कुल 0.456 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
प्रतिवादी सं. 13 शान्ति देवी पत्नी श्री सहीराम जाति जाट निवासी नगराबा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 81/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/207 23 5/1/0.025 है.

कुल 0.025 है. कृषि भूमि




उक्तानुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी सं. 2 ता 5, 7 ता 13 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 81/64 में प.नं. 173/207 मु.नं. 23 कि.नं. 20,21/0.016 है.प्र., कि.नं. 17,24/0.013 है.प्र.(किलो की पश्चिमी दिशा में प्रत्येक किला में मुख्य रास्ता से दक्षिण से उतर की ओर) रास्ता मञ्जुर किया जाता है, का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिकनिल वावत्
निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 15.6.2023 को जारी किया जाता है।


(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया नगराबा